निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ 4 (पॉलिसी) काशि/अनु0/2010/40 दिनांकः– 2/5/2012

आदेश

सत्र 2012–13 में निजी महाविद्यालयों से स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन के कम में संलग्न सूची के अनुसार आपको निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं । आदेश इस विभाग की वेब साईट www. collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

समस्त निरीक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि सूची में दिये गये फोन नम्बरों पर संबंधित महाविद्यालय के सचिव/पदाधिकारी से सम्पर्क कर 15 दिवस में निरीक्षण कार्य संपादित कर मय वांछित दस्तावेजों एवं अपनी टिप्पणी सहित विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित् करें।

यदि किसी विशेष कारण से संबंधित निरीक्षण अधिकारी समय पर निरीक्षण करने में असमर्थ हो तो वह अपने स्तर पर अपने अधीन कार्यरत उपाचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु नियुक्त कर सकते हैं जिससे समय पर कार्यवाही संपादित की जा सकें ।

निरीक्षण अधिकारी को एक ही निरीक्षण प्रपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं जिसकी छाया प्रतियॉ करवाकर रखें अथवा वेब साईट से डाउनलोड करे ताकि आवश्यकतानुसार उपयोग में ली जा सकें ।

किसी भी प्रकार की लापरवाही की जिम्मेदारी निरीक्षण अधिकारी की स्वयं की होगी ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. निजी महाविद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा निर्देशित महाविद्यालय का निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्ण सावधानी से निरीक्षण कर निरीक्षण प्रपत्र में विवरण स्वयं पूर्ण सावधानी से दर्ज करें ।
2. निरीक्षण प्रपत्र के कमानुसार ही प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न करें तथा प्रत्येक दस्तावेज पर इसी के अनुसार पृष्ठ संख्या अंकित करें ।
3. निरीक्षण प्रपत्र के साथ उपस्थिति पंजिका, टी0 आर0, एम0 ए0 पूर्व की की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र, खरीदे गए सामान के बिल आदि की फोटो प्रतियॉ संलग्न नही करें ।
4. यदि किसी महाविद्यालय द्वारा केवल **नवीन विषयों/सहशिक्षा परिवर्तन** की अनुमति ही चाही गई हैं तो इस हेतु भी यही प्रपत्र निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जाना हैं तथा प्रपत्र पर साफ तौर पर बडे अक्षरों में **नवीन विषय हेतु आवेदन/सहशिक्षा परिवर्तन** लिखा जाना आवश्यक हैं तथा चाहे गये नवीन संकाय के कॉलम में संस्था से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी आवश्यक हैं ।
5. निरीक्षण प्रपत्र को साफ–साफ अक्षरों में भरें तथा किसी भी बिन्दु को रिक्त नही छोडें ।
6. अनुशंषा के कॉलम में निरीक्षण अधिकारी स्पष्ट रूप से अपनी अनुशंषा अंकित करें ।
7. स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशंषा हेतु निम्नलिखित मानदण्ड़ आवश्यक रूप से देख लेवे ।
8. संस्था तीन वर्ष पश्चात् ही स्थाई प्रमाण पत्र के लिए पात्र होती हैं जिसके लिए निम्नलिखित मानदण्ड़ हैः–

(अ) मानदण्ड़ानुसार स्वयं का भूमि–भवन
(ब) यूजीसी योग्यताधारी शैक्षणिक स्टॉफ एवं संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ का अनुमोदन ।
(स) बैंक के माध्यम से स्टॉफ को वेतन भुगतान
(द) पीएफ की कटौती
(य) पर्याप्त विद्यार्थी सुविधाएं

निदेशक

प्रतिलिपीः–

1. समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि आवेदक संस्थाओं से संपर्क कर समय पर निरीक्षण कार्य संपादित करें।
2. सचिव, समस्त निजी महविद्यालय, राजस्थान को भेज कर लेख हैं कि यदि आप द्वारा केवल **नवीन विषय/सहशिक्षा परिवर्तन** के लिए ही आवेदन किया गया हैं तो इस संबंध में स्पष्ट रूप से निरीक्षण अधिकारी को अवगत कराये ताकि उसी के अनुसार कार्यवाही की जा सकें। वेब साईट पर उपलब्ध निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार समस्त तैयारी रखें तथा निरीक्षण अधिकारी से संपर्क करें तथा समय पर निरीक्षण करावें ताकि समय पर कार्य संपादित किया जा सकें।

संयुक्त निदेशक, अनु0 ।